

**मूल वाद में डिक्री**  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 )  
न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला—उदयपुर  
पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S  
उनवान

1. श्री दौलतराम पिता कालूजी डांगी निवासी झंझेला तहसील मावली जिला उदयपुर।

.....वादीगण

**बनाम**

1. श्री नारायण पिता रूपा डांगी निवासी गोविन्दपुरा तहसील मावली।
2. श्री गमाना पिता टेकाजी गमेती निवासी खेमली तहसील मावली।
3. श्री हेमराज पिता टेकाजी गमेती निवासी खेमली तहसील मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

.....प्रतिवादीगण

**प्रतिवाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**  
**काउण्टर वाद 88—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**  
**मुकदमा न0 : 339/12 (वाद) GCMS No. — 2012/00311**

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :—  
प्रतिवादी संख्या 2, 3 का काउण्टर वाद सारहीन होने तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानो के अनुरूप नही होने से खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 02.04.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)  
सहायक कलक्टर  
(SDO) मावली

